न्यायालय–समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

आपूर्ति अपील वाद सं0–02/2007

जयमुनी राम बनाम बिहार सरकार

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक आ0 .....से .....

जिला – रोहतास .....नं0– 02 सन् 2007

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील अपील वाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13.02.18	यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम द्वारा आपूर्ति वाद सं0–10/2006 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2006 के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। अपील का विषय–वस्तु ग्राम पंचायत–नौवा, प्रखण्ड–कोचस का जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति सं0–32/85 है। ग्राम पंचायत–नौवा के आवेदन पत्र पर आपूर्ति निरीक्षक, कोचस से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध निम्न न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ हुई। आपूर्ति निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया था कि जॉच के समय दुकान बंद थी। सूचना पट्ट नहीं पाया गया। दुकान के बाहर 14 ड्राम किरासन तेल पाया गया। दूकान पर उपस्थित कार्डधारियों ने बताया कि दुकानदार कोचस गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि किरासन तेल मिलता है और कुछ ने कहा कि तीन माह एवं छः माह पर मिलता है। कार्ड में प्रविष्टि शून्य पाई गई। खाद्यान्न एक वर्ष से नहीं मिलने की भी शिकायत की गई। अनुज्ञप्तिधारी जयमुनि राम हैं और संचालन उनका भतीजा राम प्रवेश राम करता है। अनुज्ञप्तिधारी सपरिवार छपरा रहता है। इन्हीं आधारो पर अनुज्ञप्ति रद्द करने का अनुशंसा की गयी थी। अपीलार्थी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि दिनांक 27.08.2006 को निर्धारित समय पर दुकान खोला लेकिन पेट में दर्द हो जाने के कारण परिवार के सदस्यों ने इलाज कराने के लिए मुझे कोचस लाया। इसलिए दुकान बंद हो गई थी। परिस्थितिवश दुकान बंद हो गई थी। कार्डधारियों ने भी कोचस जाने की बात कहा है। सूचना पट टंगा है जिसमें वांछित सूचना लिखा जाता है। किरासन तेल व्यापारिक परिसर में पाया गया है। दुकान का संचालन राम प्रवेश राम करते है यह अफवाह वर्तमान मुखिया द्वारा फैलाया गया है। दुकान का संचालन स्वयं करता हूँ। जब भीड़ अधिक हो जाती है तो राम प्रवेश राम का सहयोग लेता हूँ। विवरण निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में होता है तथा इसकी प्रविष्टि वे पंजी में करते हैं। भीड़ के कारण दो–चार कार्डों में हो सकता है कि	

प्रविष्टि न हुई हो। मेरी पत्नि छपरा में शिक्षिका हैं। मैं अपनी संपत्ति एवं दुकान के कारण नौवॉ में ही रहता हूँ। इन्हीं कथनों के साथ स्पष्टीकरण स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी ने अपील आधार पत्र में कहा गया है कि आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य दोनों से त्रुटिपूर्ण है। आक्षेपित आदेश अनुमान पर आधारित है। निम्न न्यायालय के गलत धारणा के कारण न्याय विफल हुआ है। निम्न न्यायालय ने विधि विरूद्ध कार्य किया है। दुकान का संचालन नियमानुकूल एवं विभागीय निदेशों के आलोक में किया जाता है। कैशमेमो आदि का संधारण निमानुकूल किया जाता है। राम प्रवेश राम की पत्नि पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी थी इसलिए कौशल्या देवी के कहने पर कार्रवाई हुई है। सामग्री को उचित तरीका से रखा जाता है। ग्राहकों ने गलत शिकायत किया है। पंजी में तिथि एवं मात्रा सही अंकित है। भंडारण एवं पंजी की प्रविष्टि में कोई अंतर नहीं है। आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। इन्हीं आधारों पर आक्षेपित आदेश निरस्त कर अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तक प्रस्तुत करते हुए कारण–पृच्छा एवं अपील आधार पत्र के कथनों को दुहराते हुए कहा कि निम्न न्यायालय ने वाद की कार्यवाही Bihar Trade Articles (licence unification) order, 1984 के अन्तर्गत प्रारंभ कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जबकि उस समय PDS (Control) order, 2001 लागू हो गया था। साथ ही आक्षेपित आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इन्हीं कथनों के साथ अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर आपूर्ति निरीक्षक ने जॉच किया और अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को सही पाया। अपीलार्थी की वितरण व्यवस्था में घोर अनियमितता पाई गई जिसके कारण लाभुक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए इसलिए अपील अस्वीकृत करने योग्य है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को तर्कों की विवेचना किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No.- 5636/2008 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2011 की Web Copy का भी अवलोकन किया।

अनुज्ञप्ति एक्कीकरण आदेश 1984 के स्थान पर PDS (Control) Order, 2001 का गजट में प्रकाशन दिनांक 31.08.2001 को हुआ। राज्य सरकार ने इसे स्वीकारते हुए

दिनांक 20.02.2007 को गजट में प्रकाशित किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.08.2001 से 20.02.2007 के बीच की अवधि के संबंध में निम्नलिखित नियमन दिया है।

"However, in the interregnum period between 31-08-2001 to 20-02-2007 there was no provision prescribed for suspending or cancelling the licence of PDS dealers. In the circumstances the impinged orders issued on 02-12-2006 purportedly passed under 1984 unification order could not be passed for the reasons indicated above and as such this court has no option but to quash the order impugned contained in Annexure-3 and the appellate order contained in Annexure-4."

निम्न न्यायालय में वाद की कार्यवाही दिनांक 19.09.2006 को प्रारंभ हुआ तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2006 को अनुज्ञप्ति एक्कीकरण आदेश 1984 के अन्तर्गत पारित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत नहीं है।

ऐसी स्थिति में यह वाद निम्न न्यायालय को वापस किया जाता है कि प्रभावकारी विधि के अनुरूप नये सिरे से कार्रवाई करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् पूर्व के आदेश से बिना प्रभावित हुए विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए युक्तियुक्त एवं मुखरित पुनः आदेश पारित करें।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ अपील निस्तारित किया जाता है।

आदेश की एक प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

समाहर्त्ता,
रोहतास, (सासाराम)।

ज्ञापांक 1651 /विविध, दिनांक 19.05.18

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम को उनके पत्रांक-923 दिनांक-16/3/10 से प्राप्त उनके निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रोहतास को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/18

उप समाहर्त्ता